रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241219
CG-DL-E-19122022-241219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2022/अग्रहायण 28, 1944
No. 311] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2022/AGRAHAYANA 28, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अंतर्गत वित्तपोषण, स्वामित्व तथा प्रचालन (एफ़ओओ) आधार पर विद्युत की खरीद के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/03/2022-आरएंडआर.—

1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 20 अक्तूबर 2022 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 - खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/03/2022-आरएंडआर द्वारा शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अंतर्गत वित्तपोषण, स्वामित्व तथा प्रचालन (एफओओ) आधार पर विद्युत की खरीद के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

2.0 दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् : -

2.1 पैरा 7.2 कोनिम्नानुसार पढ़ा जाए:

7.2 निश्चित प्रभार:

निश्चित प्रभार की वसूली, आपूर्तिकर्ता द्वारा रु/केडब्ल्यूएच में उद्धृत प्रभारों के अनुसार, वास्तविक उपलब्धता पर आधारित होगी। 85% की मानक उपलब्धता की प्राप्ति पर पूर्ण निश्चित प्रभार वसूल किया जाएगा। उपलब्धता का वार्षिक रूप से मिलान किया जाएगा। बोलीदाता पीपीए के अंतर्गत आपूर्ति आरंभ होने के बाद पहले वर्ष के लिए लागू मूल निश्चित प्रभार उद्धृत करेगा। मूल निश्चित प्रभार पीपीए में निर्धारित कार्य पद्धति के अनुरूप डब्ल्यूपीआई में उतार-चढ़ाव के आधार पर बाद के वर्षों में बढ़ाया जाएगा।

यदि, यूटिलिटी द्वारा पूर्ण क्षमता शेड्यूल्ड नहीं की गई हो, फिर भी संपूर्ण अनुबंधित क्षमता के लिए निश्चित प्रभारों का दायित्व यूटिलिटी का होगा।

2.2 पैरा 9.2 कोनिम्नानुसार पढ़ा जाए:

"9.2 किसी स्रोत के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध किए गए बोलीदाताओं की सूची उस अंतिम बोलीदाता पर विचार करके तैयार की जाएगी, जिसकी बोली उस स्रोत के लिए एल1 बोलीदाता की बोली (कुल उद्धृत टैरिफ रु/केडबल्यूएच में)के 110% से कम या उसके बराबरहो।"

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 19th December, 2022

Amendments to Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power on FOO basis under para B(v) of the SHAKTI Policy

No. 23/03/2022-R&R.—

1.0 The Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power on FOO basis under para B(v) of the SHAKTI Policy have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/03/2022-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1) on 20th October, 2022.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 20th October, 2022 namely:-

2.1 The Para 7.2may be read as under:

“7.2 The Fixed Charge:

Fixed Charge recovery shall be based on actual availability, as per charges quoted by supplier in Rs/kWh. Full Fixed Charge will be recovered on achievement of normative availability of 85%. Availability shall be reconciled annually. The bidder shall quote Base Fixed Charge applicable for first year after commencement of supply under PPA. Base Fixed Charge shall be escalated in subsequent years based on variation in the WPI in accordance with the methodology prescribed in the PPA.

Even if , the full capacity is not scheduled by the Utility, the liability of fixed charges for the entire Contracted Capacity shall be that of the Utility.”

2.2 The Para 9.2may be read as under:

“9.2 The list of Shortlisted bidders for consideration of evaluation for a source shall be arrived at by considering the last bidder whose bid is less than or equal to 110% of bid (total quoted Tariff in Rs/kWh) of the L1 bidder for that source.”

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.19 22:00:45 +05'30'